अष्टादश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-10.02.2026 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	**श्री अखतरूल ईमान, स०वि०स०** श्री संदीप सौरभ, स०वि०स० श्री सतीश कुमार सिंह यादव, स०वि०स० श्री मोहम्मद मुर्शिद आलम, स०वि०स० श्री मो० सरवर आलम, स०वि०स० श्री गुलाम सरवर, स०वि०स० श्री मो० कमरूल होदा, स०वि०स० श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता, स०वि०स०	''विगत कई वर्षों से सीमांचल क्षेत्र में कैंसर रोगियों की संख्या अत्यधिक बढ़ती जा रही है । जिसका मुख्य कारण Ground Level Water आर्सेनिक और यूरेनियम की अधिक मात्रा है । विशेषकर Mouth, Breast और Lever Cancer के मरीजों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है । विगत दिनों महावीर कैंसर संस्थान, पटना के रिपोर्ट से इसकी पुष्टि हो रही है । बिहार में सर्वाधिक कैंसर मरीज सीमांचल के जिला (अररिया, पूर्णियाँ, कटिहार, किशनगंज एवं सुपौल) है जो चिंता का कारण बना है । अत: सीमांचल में कैंसर अस्पताल स्थापित करने तथा बढ़ती कैंसर रोगियों के संबंध में विशेष शोध कराने, आर्सेनिक एवं यूरेनियम जैसी घातक धातु से करोड़ों की जनसंख्या को बचाने एवं क्षेत्रीय आपदा मानकर पीड़ितों को सरकारी स्तर से मुफ्त ईलाज कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं ।''	स्वास्थ्य

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1.	2	3	4
2.	**श्री सुभाष सिंह, स०वि०स०**	''धान अधिप्राप्ति के तहत अधिकतम उसना चावल लेने का निर्णय विगत 4 वर्षों से प्रभावी है । राज्य के खपत में लगभग 50% हिस्सा ही आंतरिक खरीद से उसना चावल तैयार होता है, बाकी 50% चावल FCI द्वारा अरवा दिया जाता है । उसना चावल लेने के नियम प्रभावी होने से 900 निजी अरवा मिल बंद है तथा इस उद्योग से जुड़े लगभग 50,000 मजदूर बेरोजगार हैं और किसानों के धान खरीद का मात्रा भी प्रति वर्ष कम होता गया है । इस वर्ष किसानों के धान खरीद का लक्ष्य ही कम कर दिया गया है । जबकि सरकार निर्माण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है । अतएव धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम में निजी अरवा मिलों को भी शामिल करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ ।''	**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण**

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-05/2026- 58 /वि०स०, पटना, दिनांक- 9 फरवरी, 2026 ई०।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

09.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-05/2026- 58 /वि०स०, पटना, दिनांक- 9 फरवरी, 2026 ई०।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

09.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-05/2026- 58 /वि०स०, पटना, दिनांक- 9 फरवरी, 2026 ई०।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / स्वास्थ्य विभाग एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

09.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-05/2026- 58 /वि०स०, पटना, दिनांक- 9 फरवरी, 2026 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

09.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।